

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 50 / 2024

उनवान:- लालचन्द बनाम कजोडमल शर्मा व अन्य

पत्रावली आज दिनांक 04.04.2024 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है प्रार्थना पत्र टी.आई दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी हो। वहस प्रार्थना पत्र टी आई पर वकील एकपक्षीय वहस सुनी गई। वहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 294, 295/933, 337/890, 339, 667, 669, 731 कुल किता 7 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर वाकै ग्राम हरचन्दपुरा वास देवलिया पटवार हल्का देवलिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में कृषि आराजीयात पर अकृषि कार्य न करें, मौका एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी करवाकर आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से तामील की ट्रेक रिपोर्ट पेश करें।

अगर किसी प्रकार का उज्र हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय हाजा उपस्थित होकर दिनांक 26.04.2024 को पेश करे।

Mudra
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आज दिनांक 28/4/24 को पत्रावली पेश हुई।
अभिजातक मंगू लाल शर्मा कजोडमल/वर्ष
वकील/प्रार्थी के कारण,
न्यायालय जयपुर में पेश की। पी.ओ.स.
उपस्थित दिनांक 13/5/24 को पेश होगी।
पत्रावली दिनांक 13/5/24 को पेश होगी

Regd. Ad.
Notice
3236-3238
28/4/24

U.T.
दिनांक 14
2
(Mudra)
शर्मा शर्मा
49241209

15/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी/वकील का
सूचना पत्र के त्वारिज किया गया है। प्रार्थी/वकील का
टी.आई.ए. के अड्डे के त्वारिज जाने का जोखिम नहीं है।
सूचना के अनुसरण में प्रार्थी का पत्रावली निषेधाज्ञा
दिनांक 04/04/24 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के
अभाव में प्रार्थी के त्वारिज किया जा रहा है। पत्रावली
इदि नैकर के कजोडमल दस्तावेज है।

Mudra
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय